**न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज.)**

| | | |
|---|---|---|
| **पीठासीन अधिकारी** | - | **श्री शारिक हुसैन, आर०जे०एस०** |
| **फौ०नि०प्रकरण संख्या** | - | **171/2015,** |
| **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०** | - | **222/2014,** |
| **पुलिस थाना** | - | **मनोहरथाना** |
| **सी.एन.आर. नम्बर** | - | RJJW180000902015 |

सरकार

अभियोगी...

बनाम

1. माखन सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी आगर पुलिस थाना मलावर जिला राजगढ़ (म.प्र.)
2. विष्णु सिंह पुत्र रामगोपाल उम्र 34 वर्ष निवासी मदनपुरा पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)
3. देवीसिंह पुत्र चम्पालाल उम्र 34 वर्ष निवासी गणेशपुरा पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज.)
4. तुलसीराम उर्फ नाथुलाल पुत्र मांगीलाल उम्र 51 वर्ष निवासी कोदयापुरा पुलिस थाना चांचौडा जिला गुना (म.प्र.) **(मफरूर)**

अभियुक्तगण...

**अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता**

**उपस्थितः-**

1- अभियोजन अधिकारी राज्य सरकार की ओर से।

2- श्री गजेन्द्र गौत्तम, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त क्रम 1 की ओर से।

3- श्री कैलाशचंद वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त क्रम 2 की ओर से।

4- श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त क्रम 3 की ओर से।

**निर्णय** **दिनांक- 24.03.2026**

| | |
|---|---|
| घटना की दिनांक | 25.07.2014 से पूर्व |
| प्रथम सूचना की दिनांक | 15.08.2014 |
| अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक | 06.01.2015 |
| आरोप विरचन की दिनांक | 08.06.2015 |
| साक्ष्य आरंभ होने की दिनांक | 08.06.2015 |

| | |
|---|---|
| निर्णय की दिनांक | 24.03.2026 |
| दण्डादेश | दोषसिद्ध |

01. थानाधिकारी पुलिस थाना मनोहरथाना की ओर से जर्ये अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120बी का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण माखन सिंह उर्फ बबलू, विष्णु सिंह, देवीसिंह एवं तुलसीराम उर्फ नाथुलाल के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 06.01.2015 को पेश किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.08.2014 को परिवादी प्रभुलाल ने पुलिस थाना मनोहरथाना में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह पीपलिया गांव थाना दांगीपुरा का रहने वाला है। उसके खाते की कृषि जमीन खाता नम्बर 33 की खसरा संख्या 4 की 4.02 बा.दो., 5 की 1.07 बी.दो., 8 की 3.05 बा.दो., 100 की 2.00 चा.प्र., 164 की 2.04 चा.प्र., 173 की 0.10 चा.प्र., 0.06 जा.प्र., 0.04, 238 की 2.17 बी.दो., 239 की 5.08 बी.दो., 242 की 5.00 बी.दो., 252 की 2.02 बा.प्र., कुल किता 10 रकबा 28.15 सम्पूर्ण ग्राम पीपलिया लोढान में स्थित है। आज से 4-5 दिन पहले वह व उसका पुत्र मांगीलाल तहसील में पटवारी जी के पास आये थे, जहां पर पटवारी जी ने बताया कि तुमने जमीन कैसे बेच दी? तब उसने कहा कि उसने कोई जमीन नहीं बेची। तहसील में मालूमात करने पर उक्त भूमि का बेचान दिनांक 25.07.2014 को क्रेता दुर्गाप्रसाद पुत्र सोहनलाल जाति अग्रवाल निवासी 89ए मीरा मार्ग बनी पार्क, जयपुर के नाम होना ज्ञात हुआ। रजिस्ट्री के गवाह विष्णु सिंह पुत्र रामगोपाल जाति तंवर व प्रेम नारायण पुत्र भैरूलाल जाति तंवर मदनपुरा व माखन सिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति राजपूत निवासी आगर पुलिस थाना राजगढ़ (म.प्र.) है। तहसील में उन्होने प्रेमनारायण की आई.डी. प्रूफ देखी तो उसमें प्रेमनारायण का मानपुरा गांव अंकित है, जबकि रजिस्ट्री में गवाह का पता मदनपुरा गांव लिखा है। रजिस्ट्री लिखने वाला डीड राईटर अब्दुल शाकीर मुसलमान निवासी मनोहरथाना का है। तहसील में अन्य लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि देवीसिंह पुत्र चम्पालाल जाति तंवर निवासी टांडी गणेशपुरा व एक अन्य जैन जाति के व्यक्ति दोनों ने षडयंत्र रचकर व अन्य रजिस्ट्री में अंकित गवाह ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर व पेश कर उसकी जमीन का बेचान क्रेता दुर्गाप्रसाद के नाम करवा दिया। उक्त सभी लोगों ने उसके साथ धोखाधडी करके षडयंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी आई.डी. फर्जी फोटो व फर्जी जन्मतिथि अंकित कर उसकी जमीन का बेचान कर दिया, इत्यादि।

03. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मनोहरथाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 222/2014, अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120बी भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण माखन सिंह उर्फ बबलू, विष्णु सिंह, देवीसिंह एवं तुलसीराम उर्फ नाथुलाल के विरूद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120बी भा.दं.सं. में पेश न्यायालय किया गया। जिसपर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध के आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. बहस चार्ज सुनी तथा अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120बी भा.दं.सं. के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण द्वारा इन्कार कर अन्वीक्षा चाही गई।

05. अभियोजन की ओर से साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है-

| **अभियोजन साक्षी क्रमांक** | **साक्ष्य की प्रकृति** |
|---|---|
| 01. अब्दुल शाकीर | डीड राईटर |
| 02. प्रेमनारायण | अनुसंधान साक्षी |
| 03. सुरेशचन्द | पटवारी |
| 04. नन्दकिशोर | कनिष्ठ लिपिक फर्द जप्ती रजिस्ट्री |
| 05. राशीद | स्टाम्प वेंडर |
| 06. प्रभुलाल | प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना |
| 07. मांगीलाल | अनुसंधान साक्षी |
| 08. गोविन्द लाल | तहसीलदार |
| 09. गजराज सिंह | अनुसंधान साक्षी |
| 10. योगेन्द्र सिंह | अनुसंधान साक्षी |
| 11. लोकेश कुमार | अनुसंधान साक्षी |
| 12. अनिल कुमार | अनुसंधान साक्षी |
| 13. सुमेर सिंह | अनुसंधान साक्षी |
| 14. अब्दुल शाहिद | अनुसंधान साक्षी |
| 15. सत्यप्रकाश | अनुसंधान साक्षी |

| | |
|---|---|
| 16. रामेश्वर लाल | अनुसंधान अधिकारी |
| 17. दुर्गाप्रसाद | अनुसंधान साक्षी |

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया-

| प्रदर्श क्रमांक | दस्तावेजात का विवरण | साबित करने वाले साक्षी |
|---|---|---|
| प्रदर्श पी01 | गवाह अब्दुल शाकीर के बयान धारा 161 द.प्र.सं. | साक्षी क्रमांक 1 |
| प्रदर्श पी02 | गवाह प्रेमनारायण के बयान धारा 161 द.प्र.सं. | साक्षी क्रमांक 2 |
| प्रदर्श पी03 | फर्द जप्ती रजिस्ट्री | साक्षी क्रमांक 4,16 |
| प्रदर्श पी04 | तहरीरी रिपोर्ट | साक्षी क्रमांक 6,7,16 |
| प्रदर्श पी05 | चाक एफआईआर | साक्षी क्रमांक 6,7,16 |
| प्रदर्श पी06 | विवादित असल रजिस्ट्री | साक्षी क्रमांक 8,16,17 |
| प्रदर्श पी07 | गवाह गजराज के बयान धारा 161 द.प्र.सं. | साक्षी क्रमांक 9 |
| प्रदर्श पी08 | इकरारनामा | साक्षी क्रमांक 10,11,12,13,16 |
| प्रदर्श पी09 | इकरारनामा | साक्षी क्रमांक 10,12,13,16 |
| प्रदर्श पी10 | गवाह अनिल कुमार के बयान धारा 161 द.प्र.सं. | साक्षी क्रमांक 12 |
| प्रदर्श पी11 | जप्ती याददाश्त रजिस्टर डीड राईटर | साक्षी क्रमांक 14,16 |
| प्रदर्श पी12 | एफएसएल जयपुर पत्र | साक्षी क्रमांक 15,16 |
| प्रदर्श पी13 | अग्रेषण पत्र | साक्षी क्रमांक 15,16 |
| प्रदर्श पी14 | एफएसएल रसीद | साक्षी क्रमांक 15,16 |
| प्रदर्श पी15 | नोटिस धारा 41(1) द.प्र.सं. दुर्गाप्रसाद | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी16 | नोटिस धारा 41(1) द.प्र.सं. दुर्गाप्रसाद | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी17 | नोटिस धारा 41(1) द.प्र.सं. माखन सिंह | साक्षी क्रमांक 16 |

| | | |
|---|---|---|
| प्रदर्श पी18 | फर्द गिरफ्तारी माखन सिंह | साक्षी क्रमांक |
| प्रदर्श पी19 | फर्द गिरफ्तारी विष्णु | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी20 | फर्द गिरफ्तारी देवीसिंह | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी21 | फर्द गिरफ्तारी तुलसीराम | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी22 | सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि. | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी23 | असल याददाश्त रजिस्टर डीड राईटर | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी24 | प्रभुलाल के दांये हाथ की अंगुठा निशानी | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी25 | प्रभुलाल के बांये हाथ की अंगुठा निशानी | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी26 | तुलसीदास के दांये हाथ की अंगुठा निशानी | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी27 | तुलसीदास के बांये हाथ की अंगुठा निशानी | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी28 | एफएसएल रिपोर्ट | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी29 | नोटिस का जवाब | साक्षी क्रमांक 16 |
| प्रदर्श पी30 | नोटिस का जवाब | साक्षी क्रमांक 16 |

06. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.स. के तहत परीक्षित किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित किया।

07. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

08. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी के द्वारा जाहिर किया गया कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

09. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त देवीसिंह ने तर्क दिया कि देवीसिंह के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त माखन सिंह ने तर्क दिया कि परिवादी

पी.ड.06 प्रभुलाल व उसका पुत्र पी.ड.07 मांगीलाल उनसे की गई जिरह में माखन सिंह द्वारा उनके साथ धोखाधडी करने से मना कर रहे हैं। माखन सिंह के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। गवाह के रूप में तहसील कार्यालय में पेश की गई आई.डी. की स्वप्रमाणित प्रति को अनुसंधान अधिकारी ने जप्त नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त विष्णु ने तर्क दिया कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इसके अतिरिक्त तीनों विद्वान अधिवक्तागण ने सम्मिलित रूप से बहस करते हुए कथन किया कि अभियोजन की ओर से गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारणार्थ मुख्य रूप से अवधारणीय बिन्दु यह है किः-

**‘‘1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.07.2014 को दोपहर के किसी समय मनोहरथाना स्थित उप पंजीयक कार्यालय में पीडित दुर्गाप्रसाद को प्रवंचना देकर राशि परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित किया एवं लोकसेवक उप पंजीयक को एवं पीडित को बेईमानी से छलपूर्वक मूल्यवान प्रतिभूति रजिस्ट्री हस्ताक्षरित कराने एवं रचने को उत्प्रेरित करके दस्तावेज रजिस्ट्री छलपूर्वक निष्पादित करवा ली एवं बेईमानी से दस लाख रूपये प्राप्त करके छल कारित किया तथा रजिस्ट्री की कपटपूर्वक बेईमानी से विक्रय का अधिकार नहीं होते हुए रजिस्ट्री पर पहचानकर्ता के रूप में हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी किये एवं अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर रजिस्ट्री की बेईमानी से कूटरचना की तथा छल के प्रयोजन से रजिस्ट्री पर विक्रेता एवं पक्षकारों की पहचान के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी करके छल के प्रयोजन से रजिस्ट्री की कूटरचना की तथा कूटरचित किये गये दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के पहचान के दस्तावेज अपने उपयोग में काम में लेकर रजिस्ट्री की कूटरचना एवं पीडित दुर्गाप्रसाद से कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग में लाकर दस लाख रूपये की राशि प्राप्त की तथा भूमि स्वामी की ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि इस कार्य से भूस्वामी की ख्याति को अपहानि कारित होना संभाव्य है, भूमि की**

**रजिस्ट्री की कूटरचना अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर की तथा छल एवं कूटरचना का आपराधिक षडयंत्र अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर रचा एवं उस आपराधिक षडयंत्र के उद्धेश्य के अग्रसरण में रजिस्ट्री की कूटरचना की एवं छलपूर्वक राशि प्राप्त की?**

**2. यदि हां, तो अभियुक्तगण को दण्ड की किस मात्रा से दण्डित किया जाए?''**

11. आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को उसकी कहानी अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध एवं प्रमाणित करना होता है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 17 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। जिनमे से गवाह संख्या पी.ड.06 प्रभुलाल प्रकरण का परिवादी है तथा गवाह सं. पी.ड.17 दुर्गाप्रसाद क्रेता है।

12. गवाह पी.ड.06 प्रभुलाल ने उसके न्यायालय में लेखबद्ध किये गये बयानों में बताया है कि उसके नाम से पोने 29 बीघा जमीन है, जो गांव मे अलग अलग जगह पर स्थित है। पटवारी ने उसे जमीन विक्रय करने की सूचना दी थी और बताया था कि विष्णु और देव्या ने धोखाधडी करके उसकी जमीन बेच दी है। विष्णु और देव्या ने उसकी जमीन की नकल निकलवा कर गलत तरीके से बेच दी है। उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो प्रदर्श पी04 है। जिस प्रभुलाल नाम के व्यक्ति का फोटो प्रदर्श पी06 पर लगा हुआ है, वह उसका नहीं है और ना ही प्रदर्श पी06 पर उसकी अंगुठा निशानी लगी हुई है। जिरह में चाक एफआईआर प्रदर्श पी05 है, जिस पर उसकी अंगुठा निशानी है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त माखन सिंह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया है कि माखन सिंह ने उसके साथ धोखाधडी नहीं की थी। उसने प्रदर्श पी04 पर माखन सिंह का नाम नहीं लिखवाया था। इसी प्रकार जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त विष्णु में गवाह ने बताया है कि उसने प्रदर्श पी04 में किसी भी मुलजिमान का नाम नहीं लिखाया था।

13. गवाह पी.ड.07 मांगीलाल ने उसके बयानों में बताया है कि वह गांव पीपलिया में रहता है। उसके पिता के नाम से गांव में 28 बीघा 15 बिस्वा जमीन है, जो 5-6 जगह पर स्थित है। जमीन के खाता नम्बर उसे याद नहीं है। उसे सुरेश जी पटवारी ने बताया था कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री तहसील मनोहरथाना में हो रही है। जमीन उसके पिता ने नहीं बेची थी। उसने जानकारी की तो पता चला कि देवीलाल ने उनके जमीन के खाते की नकल निकलवा कर कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर जमीन बेच दी

है। जमीन किस किस ने बेची और किसको बेची उसे पता नहीं चला। बाद में उसे पता चला कि हाजिर अदालत मुलजिमान ने धोखाधडी से जमीन बेच दी थी। वह उनमें से देवीसिंह, विष्णु को जानता है, बाकि दोनों को नाम से नहीं जानता है। यह आगर के रहने वाले हैं। रिपोर्ट करने वह भी उसके पिता के साथ गया था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी04 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी05 है, जिस पर उ सके हस्ताक्षर है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त माखन सिंह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना बताया कि माखन सिंह ने उनके साथ धोखाधडी नहीं की थी। यह कहना सही है कि वह माखन सिंह को नहीं जानता है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त विष्णु में गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि पुलिस के कहने पर उन्होने मुलजिमान के नाम लिखवा दिये हो, बल्कि रजिस्ट्री में मुलजिमान के नाम देखकर लिखवाये थे। रिपोर्ट कराने 8-10 आदमी गये थे। घटना के लगभग 8-10 दिन बाद धोखाधडी का पता लग गया था। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त देवीसिंह में गवाह ने बताया है कि रजिस्ट्री के बारे में पता चलने पर उन्हे जानकारी हो गई थी कि किस किस मुलजिम ने धोखाधडी से जमीन बेची है। खरीददार का नाम रजिस्ट्री में लिखा होगा। बेचने वाले का नाम भी लिखा है और गवाह का नाम भी इसमें लिखा होगा। जिन मुलजिमान का नाम धोखाधडी के बारे में पता चला उन्ही का नाम रिपोर्ट में लिखवाया था।

14. गवाह पी.ड.01 अब्दुल शाकीर, डीड राईटर ने उसके बयानों में बताया है कि वह वर्ष 2012 से डीड राईटर है। उसका लाईसेंस नम्बर 103/2012 है, जिसका हर साल नवीनीकरण होता है। लाईसेंस जिला कलक्टर झालावाड़ ने जारी किया था। दिनांक 25.07.2014 को कुछ आदमी रजिस्ट्री लिखवाने आये थे, उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। आज अदालत में नहीं है। जो रजिस्ट्री उसने लिखी थी, उसकी छायाप्रति पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह द्वारा अभियोजन अधिकारी में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी01 का ए से बी भाग ''वर्ष 2012 से ...स्वीकार किया था'' सुनकर कहा कि उसने पुलिस को लिखाया था। यह कहना गलत है कि मुलजिमान से मिलकर झूठे बयान दे रहा है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त देवीसिंह में गवाह ने बताया है कि रजिस्ट्री लिखवाने प्रभुलाल व 1-2 गवाह साथ में थे। वहां देवीसिंह भी था। रजिस्ट्री उसने कराई थी। यह सही है कि उसने रजिस्ट्री पर देवीसिंह के हस्ताक्षर नहीं कराये थे। अज खुद कहा कि उस समय देवीसिंह साथ था। रजिस्ट्री कराते समय 5-6 आदमी साथ आये थे। यह सही है कि रजिस्ट्री लिखते समय खरीदने वाले व बेचने वाले व

गवाह द्वारा कागजात पहचान करने पर रजिस्ट्री लिखी जाती है। देवीसिंह ने पार्टी की पहचान की थी और उसने रजिस्ट्री लिखने के लिए कहा था। खरीदने व बेचने वालों के कहने पर रजिस्ट्री लिखी थी। वह खरीदने व बेचने वालों को नहीं जानता तथा गवाहों को भी नहीं जानता है। देवीसिंह का पहचान पत्र वह नहीं जानता है। देवीसिंह रोजाना आता था, इसलिए वह उसे जानता था। देवीसिंह ने उससे एक भी रजिस्ट्री नहीं कराई थी। दुर्गाप्रसाद खरीदने वाले का पहचान पत्र लिखते समय नहीं देखा बाद में देखा था। उसने विष्णु व माखन सिंह का पहचान पत्र देखा था। पुलिस बयान उसे पढकर बताये थे। यह सही है कि बेचने वाले ने अपना नाम प्रभुलाल बताया था। देवीसिंह ने उसका नाम प्रभुलाल नहीं बताया था। यह सही है कि रजिस्ट्री प्रभुलाल के कहने से लिखी थी। रजिस्ट्री लिख्वाई उस समय 4 व्यक्तियों के अलावा एक व्यक्ति और था जो वहां से चला गया था। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त माखन सिंह गवाह ने बताया है कि यह कहना सही है कि रजिस्ट्री करवाने आये व्यक्तियों में से वह केवल देवीसिंह को जानता था। यह कहना गलत है कि पुलिस को बयान उसने दबाव में दिये हो। रजिस्ट्री के कितने दिन बाद बयान दिये थे आज याद नहीं है। जिरह द्वारा अधिवक्ता शेष अभियुक्तगण में बताया है कि पुलिस वालों ने उससे पूछताछ कर बयान लिखे थे। वह प्रभुलाल व विष्णु को व्यक्तिगत नहीं जानता है। यह कहना गलत है कि प्रभुलाल, विष्णु ने उससे रजिस्ट्री लिखने को नहीं कहा हो, बल्कि दोनों पक्षों के कहने पर ही रजिस्ट्री लिखी थी। स्टाम्प कौन लेकर आया था आज याद नहीं है। हस्ताक्षर पक्षकारों ने उसके सामने किये थे।

15. गवाह पी.ड.03 सुरेशचंद ने उसके बयानों में बताया है कि दिनांक 22.07.2014 को वह पटवारी हल्का खाताखेडी के पद पर कार्यरत था। उसने प्रभुलाल पुत्र देवीसिंह को नकल की प्रति दी थी। जमाबंदी और खसरा गिरदावरी दी थी, जो 28 बीघा 15 बिस्वा की थी। 10 किता जारी किये थे, जो 10-10 रूपयें में जारी किये थे। देवीसिंह पुत्र चम्पालाल आया था, जिसको लोन लेना था, इस कारण उसने प्रतिलिपि दी थी। प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त देवीसिंह में गवाह ने बताया है कि देवीसिंह ने लिखित में आवेदन नहीं दिया था। देवीसिंह को वह शक्ल से नहीं जानता था। उसने कोई फोटो आईडी नहीं बताई थी। नकल जारी करने से पहले आवेदक की पहचान सुनिश्चित नहीं की जाती है। यह सही है कि उसके पास कई व्यक्ति आवेदन करते हैं। यह सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी खाते की नकल ले सकता है। प्रतिलिपि शूल्क के रजिस्टर पर आवेदक के

हस्ताक्षर होते है। अज खुद कहा कि इस मामले में भी आवेदक के हस्ताक्षर करवाये थे।

16. गवाह पी.ड.05 राशीद ने उसके बयानों में बताया है कि वह वर्ष 2011 से तहसील परिसर मनोहरथाना में स्टाम्प वेंडर का कार्य करता है। उसका लाईसेंस नम्बर 26/2011 है, जो उप महानिरीक्षक स्टाम्प कोटा से जारी है। उसके पास प्रभुलाल पुत्र देवीसिंह जाति तंवर गांव गणेशपुरा पीपलिया लोढान आया था और एक हजार रूपये के चार स्टाम्प खरीदे थे। स्टाम्प जमीन बेचान वास्ते लिये थे। स्टाम्प दिये उसकी छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त देवीसिंह में गवाह ने बताया है कि स्टाम्प खरीदते समय खरीददार ने पहचान पत्र नहीं बताया था। वह आज भी स्टाम्प खरीदने वाले को नहीं पहचान सकता है।

17. गवाह पी.ड.17 दुर्गाप्रसाद ने उसके बयानों में बताया है कि वर्ष 2014 में उसने मनोहरथाना में कृषि जमीन खरीदी थी। उक्त जमीन उसने उसके कर्मचारी गजराज, योगेन्द्र व माखन सिंह के माध्यम से खरीदी थी। माखन सिंह ने उसे आराजी स्वयं की होना बताया था। उसे इन लोगों ने जमीन की जमाबंदी दिखाई थी। जमीन प्रभुलाल पुत्र देवीसिंह के नाम पर थी। जमीन खरीदने के लिए दस लाख रूपये की राशि तय हुई थी, जिसका भुगतान नकद व चेक के माध्यम से करना तय हुआ था। जमीन के खरीदनामे की रजिस्ट्री कराने के लिए वह व गजराज जुलाई 2014 में मनोहरथाना आये थे। उसके साथ उसका ड्राईव भी था। मनोहरथाना पहुंचने पर उसे योगेन्द्र व माखन सिंह दोनों तहसील के पास मिले थे। कुछ देर बाद एक आदमी प्रभुलाल पुत्र देवीसिंह भी रजिस्ट्री करवाने आया था। बेचाननामा उसके कर्मचारी गजराज सिंह व माखन सिंह ने डीड राईटर अब्दुल शाकीर से लिखवाया था। साथ में वकील साहब भी थे, जिनका नाम आज याद नहीं है। बेचाननामे के गवाह विष्णु पुत्र रामगोपाल व प्रेमनारायण पुत्र भैरूलाल थे। रजिस्ट्री के समय प्रेमनारायण चला गया था, इसलिए उसकी जगह रजिस्ट्री पर माखन सिंह ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे। रजिस्ट्री के समय उप पंजीयक के समक्ष जमीन का मालिक प्रभुलाल भी उपस्थित था, जिसने भी बेचाननामे पर अंगुठा किया था। उसने जमीन के बेचान की राशि दस लाख रूपये नकद प्रभुलाल के कहने पर गजराज व माखन सिंह को दी थी। दस्तावेज पंजीयन होने के पश्चात वह जयपुर वापस चला गया था। गजराज वहीं रूक गया था। पंजीयन के 2-3 दिन बाद उसे तहसील कार्यालय से फोन आया, जिन्होने बताया कि जो जमीन उसने खरीदी है वह किसी व्यक्ति ने फर्जी मालिक बनकर बेचान कर दिये। जमीन के असली मालिक ने आकर कार्यालय में शिकायत दी है। जो दस्तावेज

पंजीयन हुआ था, वह प्रदर्श पी06 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी06 पर एक्स स्थान पर जो व्यक्ति बेचान करने के लिए प्रभुलाल के नाम से उपस्थित था, उसका फोटो है तथा वाई स्थान पर उसकी फोटो है। प्रदर्श पी06 पर नीचे की तरफ जिन लोगों के फोटो है, वह उनके नाम नहीं जानता है, शक्ल से पहचानता है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त माखन सिंह व देवीसिंह में गवाह ने बताया है कि वह जमीन खरीदने व बेचने का कार्य वर्ष 2007 से कर रहा है। यह कहना सही है कि उसने जमीन खरीदने से पहले पटवारी से जमीन की जानकारी नहीं ली थी। अज खुद कहा कि उसके कर्मचारी गजराज व माखन सिंह ने उनकी जिम्मेदारी पर जमीन दिलवाई थी। वह माखन सिंह को नहीं जानता है। अज खुद कहा कि गजराज को जानता था, जिसने माखन सिंह को उसका रिश्तेदार होना बताया था। रजिस्ट्री होने के 2-3 दिन बाद उसे तहसील कार्यालय से फोन आया था, तब सारी जानकारी हुई थी। यह कहना सही है कि उसने इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी। अज खुद कहा कि उसी दिन पुलिस थाना मनोहरथाना से फोन आया था, जहां प्रकरण दर्ज् हो गया था। यह सही है कि वह माखन सिंह को पहसे से नहीं जानता था। अज खुद कहा कि गजराज के कहने पर माखन सिंह पर भरोसा किया था। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त विष्णु में गवाह ने बताया है कि यह कहना गलत है कि उसे विष्णु नहीं मिला हो। अज खुद कहा कि रजिस्ट्री के समय आ गया था। यह कहना सही है कि वह गजराज के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पहले से नहीं जानता था।

18. गवाह पी.ड.04 नन्दकिशोर ने उसके बयानों में बताया है कि दिनांक 10.09.2014 को वह तहसील मनोहरथाना कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात था। फर्द जप्ती रजिस्ट्री प्रदर्श पी03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। असल रजिस्ट्री जप्त की थी, जिसकी फोटोप्रति पत्रावली में मौजूद है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त विष्णु में गवाह ने बताया है कि थानेदार को उसने सुबह 10 बजे रजिस्ट्री दी थी। तहसीलदार के कहने पर उसने रजिस्ट्री पुलिस को दी थी।

19. गवाह पी.ड.08 गोविन्दलाल ने उसके बयानों में बताया है कि वह दिनांक 25.07.2014 को तहसीलदार उप पंजीयक मनोहरथाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन दोपहर बाद 4-5 व्यक्ति उसके कार्यालय में आये और बेचान पत्र की रजिस्ट्री उसके समक्ष पेश की थी, जिसमें विक्रेता प्रभुलाल पुत्र देवीसिंह व क्रेता दुर्गाप्रसाद अग्रवाल पुत्र सोहनलाल थे। विक्रय पत्र डीड राईटर अब्दुल शाकीर के द्वारा लिखा गया था। विक्रय पत्र के साथ आई.डी की स्वप्रमाणित फोटोप्रति उसके समक्ष पेश की थी। पेश होने पर

विक्रेता से पूछा था कि क्या उसने जमीन बेची है और उसे बेचान की राशि प्राप्त हो चुकी है?मौके पर उपस्थित विक्रेता ने अपनी जमीन विक्रय करना व विक्रय राशि प्राप्त होना स्वीकार किया था। फिर उपस्थित गवाहों से उसके द्वारा विक्रेता की शिनाख्त करवाई गई। गवाहों ने विक्रेता को सही होना स्वीकार किया था तथा एक अन्य गवाह जिसका नाम विक्रय पत्र में लिखा हुआ था, मौके से चला गया था। जिसके स्थान पर दूसरे गवाह माखन सिंह पुत्र गोरधन सिंह ने गवाही प्रस्तुत की थी और विक्रेता को सही होना स्वीकार किया तथा अपने हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी विक्रय पत्र पर किये थे। उसके बाद क्रेता विक्रेता व गवाह चले गये थे। उसके बाद उसने रजिस्ट्री का अवलोकन किया, जिसमें गवाह प्रेमनारायण की आईडी में गांव का नाम मानपुरा अंकित था, जबकि रजिस्ट्री पर मदनपुरा अंकित था। इसी प्रकार क्रेता की आईडी में निवासी मिठडी पुलिस थाना नावा जिला नागौर अंकित था जबकि रजिस्ट्री में बनी पार्क जयपुर का पता अंकित था। शंका होने पर उसने विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपने पास रख लिया बाद में पता करवाया कि प्रभुलाल ने जमीन बेची है या नहीं तो उसे पता चला कि प्रभुलाल की उम्र 70-80 साल है तथा उसने जमीन नहीं बेची है। जबकि उसके समक्ष जो विक्रेता के रूप में पेश हुआ था, उसकी उम्र 39 वर्ष की थी तथा रजिस्ट्री में भी यही अंकित थी। उसने क्रेता व विक्रेता के गवाहों के फोटो मिलाये जो सही थे। बाद में उसने जगदीश जी बोहरा उप अधीक्षक को इस रजिस्ट्री की जांच हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। जो रजिस्ट्री उसके समक्ष पेश हुई थी वह प्रदर्श पी06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर विक्रेता प्रभुलाल, वाई स्थान पर क्रेता दुर्गाप्रसाद, एक्स1 स्थान पर गवाह विष्णु सिंह, वाई1 स्थान गवाह प्रेमनारायण की फोटो चस्पा है। प्रेमनारायण के उपस्थित नहीं आने पर उसने प्रेमनारायण की फोटो पर क्रोस का निशान लगाया था। जेड स्थान पर गवाह माखन सिंह की फोटो चस्पा है। क्यू5 व क्यू8 की अंगुठा निशानी प्रभुलाल ने उसके कार्यालय में उसके समक्ष की थी तथा विष्णु सिंह व माखन सिंह के हस्ताक्षर क्यू10 व क्यू12 है, जो उसके समक्ष उसके कार्यालय में करवाये थे। शेष हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी पहले से ही हो रही थी। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने बताया है कि दिनांक 25.07.2014 की बात है। यह कहना गलत है कि क्रेता व विक्रेता के पहचान पत्र अलग अलग व्यक्तियों से हो। यह कहना सही है कि उसके खिलाफ भी इसी न्यायालय में इन्ही धाराओं में अन्य प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया था, जो अभी माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। 1-2 दिन बाद ही उसे पता चला कि रजिस्ट्री फर्जी हो सकती है। उसने थाने पर रजिस्ट्री बाबत् डिप्टी साहब को प्रार्थना पत्र पेश किया था। वह यह

नहीं बता सकता कि कितने दिनों बाद डिप्टी साहब को फर्जी रजिस्ट्री बाबत् प्रार्थना पत्र दिया था। परन्तु रजिस्ट्री क्रेता को दिये जाने से पहले ही प्रार्थना पत्र उसने डिप्टी साहब को दे दिया था। यह कहना सही है कि डिप्टी साहब को दिया गया प्रार्थना पत्र पत्रावली में शामिल नहीं है और ना ही उसके पास उसकी फोटोप्रति अभी उपलब्ध है।

20. गवाह पी.ड.14 अब्दुल शाहिद ने उसके बयानों में बताया है कि लगभग सात साल पहले डीड राईटर अब्दुल शाकीर ने उसके व राशीद के समक्ष डीड राईटर याददाश्त रजिस्टर अनुसंधान अधिकारी को पेश किया था, जिसका उनके द्वारा निरीक्षण कर जप्त किया गया था। फर्द निरीक्षण व जप्ती प्रदर्श पी11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

21. गवाह पी.ड.16 रामेश्वरलाल प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने उसके बयानों में बताया है कि दिनांक 15.08.2014 को वह थाना मनोहरथाना में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन प्रभुलाल पुत्र देवीसिंह ने उपस्थित थाना होकर तहरीरी रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी04 है, जिस पर सी से डी कार्यवाही पुलिस व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी05 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान गवाहों के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। अनुसंधान के दौरान प्रकरण की असल रजिस्ट्री श्री गोविन्द लाल तहसीलदार ने उसके समक्ष पेश की थी, जिसको जर्ये फर्द जप्ती प्रदर्श पी03 जप्त किया था। फर्द जप्ती प्रदर्श पी03 पर सी से डी उसके व ई से एफ गोविन्द लाल जी तहसीलदार के हस्ताक्षर है। रजिस्ट्री में विक्रेता प्रभुलाल था तथा क्रेता दुर्गाप्रसाद अग्रवाल था। दुर्गाप्रसाद को जारी किया गया नोटिस धारा 41ए सीआरपीसी का जवाब पेश होने पर संलग्न पत्रावली किया। जवाब के साथ असल इकरारनामा प्रदर्श पी08 पेश किया, जिस पर के से एल उसका पृष्टांकन एम से एन उसके हस्ताक्षर है। इकरारनामा प्रदर्श पी09 शामिल पत्रावली किया, जिस पर जी से एच उसका पृष्ठांकन व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। डीड राईटर अब्दुल शाकीर के द्वारा याददाश्त रजिस्टर पेश किये जाने पर जर्ये फर्द जप्त किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी11 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दुर्गाप्रसाद को दिये गये नोटिस प्रदर्श पी15 व पी16 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। माखन सिंह को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी17 है। अभियुक्त माखन सिंह उर्फ बबलू, विष्णु सिंह, देवीसिंह, तुलसीराम उर्फ नाथुलाल को गिरफ्तार किया, जिनकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी19 लगायत 21 है। अभियुक्तगण माखन सिंह व विष्णु ने स्वेच्छापूर्वक उसे सूचना दी कि उसने व देवीसिंह ने प्रभुलाल के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को खडा किया था, जिसे वह चांचौडा बस स्टेण्ड से लेकर

आये थे, जिसे चलकर बता सकते हैं। फर्द सूचना प्रदर्श पी22 है। हल्का पटवारी खाताखेडी से ग्राम पीपल्या लोढान की खसरा गिरदावरी व जमाबंदी प्राप्त कर संलग्न पत्रावली की। प्रकरण में जप्तशुदा विवादित रजिस्ट्री, प्रभुलाल के दांये व बांये हाथ की अंगुठा निशानी, तुलसीराम के दांये व बांये हाथ की अंगुठा निशानी, अब्दुल शाकीर से जप्त किया गया रजिस्टर को हस्तलेख विशेषज्ञ की राय हेतु एफएसएल जयपुर भेजा था, जिस बाबत् उसका पत्र प्रदर्श पी12 है। वाहक सत्यप्रकाश कानि. ने उक्त दस्तावेज एफएसएल जमा करवाकर वापसी पर अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी13 व एफएसएल रसीद प्रदर्श पी14 उसे लाकर पेश की थी, जो संलग्न पत्रावली की थी। असल रजिस्ट्री प्रदर्श पी06 है। डीड राईटर का असल रजिस्टर प्रदर्श पी23 है। जिसके क्रमांक 317 पर ए से बी भाग में विक्रय पत्र का विवरण तथा एफ1 स्थान पर प्रभुलाल की अंगुठा निशानी है। प्रभुलाल पुत्र देवीसिंह, तुलसीराम पुत्र मांगीलाल के दांये व बांये हाथ की अंगुठा निशानी ली थी। प्रभुलाल के दांहिने हाथ की अंगुठा निशानी प्रदर्श पी24, बांये हाथ की अंगुठा निशानी प्रदर्श पी25 है। तुलसीराम के दांये हाथ की अंगुठा निशानी प्रदर्श पी14 व बांये हाथ की अंगुठा निशानी प्रदर्श पी27 है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी28 है, जो संलग्न पत्रावली है। दुर्गाप्रसाद द्वारा धारा 41द.प्र.सं. के नोटिस का जवाब प्रदर्श पी29 व 30 है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त माखन सिंह उर्फ बबलू, विष्णु सिंह, देवीसिंह व तुलसीराम उर्फ नाथुलाल के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120बी भा.द.स. का आरोप प्रमाणित पाया जाकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।

22. गवाह पी.ड.09 गजराज सिंह ने उसके बयानों में बताया है कि वह दुर्गाप्रसाद पुत्र सोहनलाल जाति अग्रवाल निवासी बनीपार्क जयपुर को जानता है, जो भवन निर्माण का व्यवसाय करते है। वह उनके यहां पर मुनीम का काम करता है। योगेन्द्र सिंह निवासी जयपुर ने उनके ऑफिस में आकर दर्गाप्रसाद जी से सम्पर्क किया था और मनोहरथाना के आसपास कृषि भूमि खरीदने की बात कही थी। उसके सेठ दुर्गाप्रसाद जमीन रखने मनोहरथाना आये हो तो उसे पता नहीं। दर्गाप्रसाद जी, वह, चालक मनोज तीनों मनोहरथाना जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए मनोहरथाना तहसील में आये थे। उन्होने बेचान का बेचाननामा डीड- राईटर से लिखवाया था, जिसका नाम उसे आज याद नहीं है। भूमि का विक्रेता व 3-4 अन्य व्यक्ति व एक वकील साहब जिनका नाम उसे आज याद नहीं है। उसके सेठ दुर्गाप्रसाद मूलरूप से ग्राम मीठडी थाना नावा जिला नागौर के रहने वाले है। जिन्होने अपनी आईडी पेश की थी। बेचाननामा के गवाहन के नाम आज उसे याद नही है। जमीन बेचान की राशि उसी समय अदा कर दी थी,

लेकिन कितनी राशि अदा की थी उसे आज याद नहीं है। उसी दिन कृषि आराजी की रजिस्ट्री करवा ली थी। बाद में उन्हे पता चला की जो जमीन उन्होने खरीदी थी, वह जिसकी थी उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने जमीन का मालिक बनकर धोखाधडीपूर्वक रजिस्ट्री करवा दी थी तथा उस कृषि आराजी के असली मालिक द्वारा धोखाधडी का मामला दर्ज करवाया था। सेठ दुर्गाप्रसाद द्वारा व्यस्त होने पर थाना मनोहरथाना में उनके नोटिस का जवाब लाकर पेश किया था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। उक्त गवाह को अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसके सेठ दुर्गाप्रसाद जी को कृषि आराजी की आवश्यता होने पर योगेन्द्र सिंह, माखन सिंह को लेकर आया और प्रभूलाल की कृषि अराजी की जमाबंदी दिखाई हो। उसे माखन सिंह व प्रभूलाल के नाम ध्यान नही है। पुलिस बयान प्रदर्श पी-07 का ए से बी भाग व सी से डी भाग व जी से एफ भाग उसने लिखवाया हो तो आज याद नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्श पी-07 का इ से एफ भाग सुनकर कहा की उसने लिखवाया था। यह उसे जानकारी नहीं है कि रजिस्ट्री के गवाह विष्णु व प्रेमनारयाण हो। खरीद की राशि जमीन की रजिस्ट्री करवाने वाले व्यक्ति को उसके सामने अदा की थी।

23. गवाह पी.ड.10 योगेन्द्र सिंह ने उसके बयानों में बताया है कि वह जयपुर का निवासी है और प्रोपर्टी का काम करता है। वह, अनिल कुमार पुत्र रंगलाल को जानता है, जो भी प्रोपर्टी का काम करता है। अनिल कुमार ने उसे माखन सिंह से मिलवाया था, जिसने उसे बताया था कि मनोहरथाना जिला झालावाड में कृषि आराजी बेचनी है। गजराज सिंह को वह जानता है, जो मोजिका रियल स्टेट में काम करते थे, उन्होने उसे मनोहरथाना में कृषि आराजी दिलवाने के लिए कहा था। उसने कृषि आराजी के बारे गजराज सिंह को बताया था। उसके साथ अनिल, माखन सिंह, सुमेर सिंह व लोकेश भी गए थे। कम्पनी के एम.डी. दुर्गाप्रसाद जी, अनिल जी व उसके बीच सौ रूपये के स्टाम्प पर जमीन खरीद का इकरारनामा हुआ था। अनिल जी व उसने, माखन सिंह के साथ में इकरारनामा लिखा था। इसी इकरारनामा के आधार पर माखन सिंह ने दुर्गाप्रसाद जी के नाम से रजिस्ट्री करवाई थी। रजिस्ट्री हुई उस समय वह, दुर्गाप्रसाद, अनिल, माखन सिंह व सुमेर सिंह मौजूद थे। जमीन का विक्रेता भी तहसील मनोहरथाना में उपस्थित था, जिसे माखन सिंह साथ लेकर आया था। दुर्गाप्रसाद जी ने जमीन की विक्रेय राशि दस लाख रूपये माखन सिंह को दिए थे। माखन सिंह ने उसके व अनिल के पक्ष में जो इकरारनामा निष्पादित किया था,

उसकी फोटोप्रति थाने पर पेश की थी, जो पत्रावली में मौजूद है तथा उसके व अनिल द्वारा मोजिका रियल स्टेट के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा की प्रमाणित प्रति पुलिस को पेश की थी, जो शामिल पत्रावली है। इकरारनामा की प्रमाणित प्रति जो माखन सिंह द्वारा निष्पादित है प्रदर्श पी-08 है, जिस पर ए बी उसके व सी से डी माखन सिंह के हस्ताक्षर है तथा उसके व अनिल द्वारा मोजिका रियल स्टेट के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-09 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि मोजिका रियल स्टेट कम्पनी के पैसों का हिसाब उसके व अनिल जी के पास रहता था। गवाह ने उक्त तथ्य को गलत होना बताया कि कम्पनी से प्राप्त पैसे के कमिशन को लेकर माखन सिंह से विवाद हो। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जून, 2014 से पहले वह माखन सिंह को नहीं जानता था। यह कहना सही है कि माखन सिंह से उसका 8-10 बार मिलना हुआ था। यह कहना सही है कि इस घटना से पहले वह कभी मनोहरथाना नहीं आया।

24. गवाह पी.ड.11 लोकेश कुमार ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह कोटा रहता है और स्टोन का व्यवसाय करता है। वह अनिल कुमार निवासी कोटा को जानता है, जो उसका दोस्त है। जून, 2014 में अनिल जी के बुलाने पर वह योगेन्द्र सिंह के झोटवाडा जयपुर में स्थित ऑफिस में गया था, जहां पर योगेन्द्र व अनिल जी बताया की तहसील मनोहरथाना में माखन सिंह से जमीन खरीदने का इकरारनामा करना है, उसमें उसकी आपको पहचान करनी है। जिस पर इनके बीच जो इकरारनामा हुआ था उस हस्ताक्षर किये थे। इकरारनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-08 है जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-08 उसने केवल अनिल जी की पहचान की लिए हस्ताक्षर किये थे।

25. गवाह पी.ड.12 अनिल कुमार ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह कोटा में रहता है और प्रोपर्टी का काम करता है। वह माखन सिंह को जानता है, जो एम.पी. का रहने वाला है। माखन सिंह ने सन् 2014 में मनोहरथाना जिला झालावाड में कृषि आराजी खरीदने के लिए बताया था। उसने व योगेन्द्र सिंह ने मोजिका रियल स्टेट कम्पनी झोटवाडा जयपुर को जमीन के बारे में बताया था जिन्होने जमीन लेने की इच्छा जाहिर की थी। जिस पर उसने व योगेन्द्र ने मोजिका रियल स्टेट के मालिक दुर्गाप्रसाद के साथ इकरारनामा किया था। इसी इकरारनामा के आधार पर माखन सिंह ने दुर्गाप्रसाद जी को जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी। जमीन की रजिस्ट्री के वक्त वह मनोहरथाना में मौजूद नहीं था। जो इकरारनामा उसके व योगेन्द्र

सिंह के पक्ष में माखन सिंह ने लिखा था, उसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-08 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसके व योगेन्द्र सिंह के द्वारा मोजिका रियल स्टेट के पक्ष में जो इकरारनामा लिखा था उसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-09 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इकरारनामा के गवाह गजराज सिंह, सुमेर सिंह, लोकेश थे। उक्त गवाह को अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि दुर्गाप्रसाद के पक्ष में 28 बीघा जमीन की रजिस्ट्री हुई तब वह तहसील मनोहरथाना में मौजूद था और रजिस्ट्री के समय कृषि आराजी के मालिक को माखन सिंह तहसील मनोहरथाना में लेकर आया और उसी ने उसकी पहचान की हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी-10 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाये जाने से इंकार किया है। गवाह ने इस तथ्य को भी गलत बताया कि वह रजिस्ट्री के समय मौजूद हो और मुलजिम माखन सिंह को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने स्वीकार किया है कि माखन सिंह से उसकी एक ही बार मुलाकात हुई थी।

26. गवाह पी.ड.13 समेर सिंह ने उसके बयानों में बताया है कि वह जयपुर रहता है और कृषि विभाग में सरकारी कर्मचारी है। वह योगेन्द्र कुमार निवासी जयपुर को जानता है, जो उसका दोस्त है। जून, 2014 में योगेन्द्र जी के बुलाने पर वह इनके झोटवाडा जयपुर में स्थित ऑफिस में गया था, जहां पर योगेन्द्र व अनिल जी ने बताया की मोजिका रियल स्टेट के पक्ष में एक इकरारनामा लिख रहे है, जिसमें उसको उसकी पहचान बाबत गवाह बनना है और हस्ताक्षर करने है। जिस पर इनके बीच जो इकरारनामा हुआ उस पर गवाह के हस्ताक्षर किये थे। इकरारनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-09 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। इसके बाद दुबारा बुलाया और बताया कि तहसील मनोहरथाना में माखन सिंह से जमीन खरीदने का इकरारनामा करना है जिसमें उसकी उसको पहचान करनी है। जिस पर इनके बीच जो इकरारनामा हुआ था उस पर गवाह के हस्ताक्षर किये थे। इकरारनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-08 है जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-08 व प्रदर्श पी-09 उसने योगेन्द्र सिंह जी की पहचान के लिए हस्ताक्षर किये थे।

27. गवाह पी.ड.15 सत्यप्रकाश ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 18.12.2014 को थाना मनोहरथाना पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा 6 सील्ड

लिफाफे मार्क ए से एफ तक एफएसएल जमा कराने के लिए मय दस्तावेज के दिए थे, जिन्हे लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय झालावाड़ पहुंचा। जहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर अगले दिन दिनांक 19.12.2014 को फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो राज. जयपुर पहुंच कर सभी 6 लिफाफे सील्ड अवस्था में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। वापसी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय झालावाड आकर रसीद की फोटोकापी देकर अग्रेषण पत्र की प्रति प्राप्त की। वापसी थाने पर कागजात एसएचओ साहब को संभलाए थे। एफएसएल भिजवाने बाबत् एसएचओ साहब का पत्र प्रदर्श पी 12, एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 13 व एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 है। प्रदर्श पी 13 पर ए से डी उसके हस्ताक्षर है।

28. एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी08 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रिपोर्ट में प्रदर्श पी06 पर मौजूद अंगुठा निशानी Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q9 का मिलान अभियुक्त तुलसीराम के विवाद रहित अंगुठा निशानी से होना पाया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार F1 अंगुठा निशानी का मिलान डीड राईटर गवाह पी.ड.01 अब्दुल शाकीर के रजिस्टर में इकरारनामा प्रदर्श पी06 लिखवाते समय असल भूस्वामी के स्थान पर उपस्थित अभियुक्त तुलसीराम की अंगुठा निशानी से होना पाया गया है।

29. पत्रावली पर परीक्षित हुए समस्त महत्वपूर्ण गवाह उनसे की गई जिरह में सुदृढ़ रहे हैं तथा उनकी विश्वसनीयता पर न्यायालय को कोई संदेह नहीं है। महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.08 गोविन्द लाल ने रजिस्ट्री के समय अभियुक्तगण का मौजूद होना तथा गवाह माखन व विष्णु द्वारा विक्रेता की शिनाख्त करने बाबत् स्पष्ट कथन किये हैं। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर प्रदर्शित करवाये गये असल इकरारनामा प्रदर्श पी06 से होती है। इसी प्रकार डीड राईटर पी.ड.01 अब्दुल शाकीर द्वारा भी उसके समक्ष देवीसिंह, माखन व विष्णु के उपस्थित आने तथा उनके द्वारा इकरारनामा प्रदर्श पी06 लिखवाये जाने बाबत् स्पष्ट कथन किये हैं। इसी प्रकार गवाह पी.ड.17 दुर्गाप्रसाद ने भी माखन सिंह द्वारा कृषि आराजी उपलब्ध करवाने के आश्वासन के बाद उसका मनोहरथाना आना बताया है तथा रजिस्ट्री के समय माखन व विष्णु का मौजूद होना बताया है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी06, पी08 व पी09 से भी होती है। गवाह पी.ड.17 दुर्गाप्रसाद ने यह भी बताया है कि उसने जमीन खरीदने की विक्रय राशि दस लाख रूपये माखन सिंह को दिये थे। वास्तविक भूस्वामी पी.ड.06 प्रभुलाल व उसके पुत्र पी.ड.07 मांगीलाल ने उनके बयानों में बताया है कि जमीन का सौदा उनके द्वारा नहीं किया गया था तथा

उनको विक्रय की जानकारी होने पर उन्होने पुलिस थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

30. जहां तक रजिस्ट्री के समय दिये गये स्वप्रमाणित पहचान पत्रों को अनुसंधान अधिकारी द्वारा जप्त कर शामिल पत्रावली नहीं किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर मूल रजिस्ट्री को जप्त कर प्रदर्शित करवाया गया है तथा उस पर मौजूद विक्रेता के अंगुठा निशानी की एफएसएल जांच असल भूस्वामी के विवाद रहित अंगुठा निशानी से करवाई गई है। इसके अतिरिक्त इकरारनामे पर मौजूद गवाहों के फोटोग्राफ्स तथा गवाह पी.ड.08 गोविन्द लाल द्वारा गवाहों की शिनाख्त किये जाने से इस बिन्दु के आधार पर अभियोजन कहानी पर संदेह किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

31. जहां तक देवीलाल द्वारा प्रभुलाल के खाते की आराजी की जमाबंदी की प्रतिलिपियां प्राप्त करने बाबत् आवदेन को पत्रावली पर प्रदर्शित नहीं करवाये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त देवीसिंह का यह बचाव नहीं रहा है कि अभियुक्त देवीसिंह के हस्ताक्षर आवेदक के रूप में नहीं है और ना ही बचाव साक्ष्य में उक्त दस्तावेज को तलब करवाया गया है। गवाह पी.ड.01 अब्दुल शाकीर ने उसके बयानों में इकरारनामा प्रदर्श पी06 उसके द्वारा लिखते समय अभियुक्त देवीसिंह का मौजूद होने तथा देवीसिंह के कहने पर इकरारनामा प्रदर्श पी06 लिखने का स्पष्ट कथन किया है।

32. जहां तक गवाह पी.ड.06 प्रभुलाल व पी.ड.07 मांगीलाल द्वारा जिरह में माखन सिंह द्वारा प्रभुलाल के साथ धोखाधडी करने से मना करने के कथन का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों गवाहों को रजिस्ट्री की जानकारी घटना के बाद हुई थी तथा उक्त दोनों गवाह रजिस्ट्री के समय मौजूद भी नहीं थे, जिससे केवल उक्त दोनों गवाहों द्वारा यह कथन कर देने से कि माखन सिंह ने उनके साथ धोखाधडी नहीं की है, अभियोजन कहानी संदेहास्पद प्रतीत नहीं होती है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी06 पर माखन सिंह का हस्ताक्षर व फोटोग्राफ होने का कोई खण्डन अधिवक्ता अभियुक्त माखन सिंह द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है।

33. जहां तक अनुसंधान अधिकारी द्वारा दस लाख रूपये बरामद नहीं करने का प्रश्न है तो महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.17 दुर्गाप्रसाद व अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.08 गोविन्दलाल ने उनके बयानों में रजिस्ट्री के समय क्रेता द्वारा दस लाख रूपये अदा कर देने का स्पष्ट कथन उनके बयानों में किया है।

34. जहां तक गवाह पी.ड.01 अब्दुल शाकीर द्वारा मुख्य परीक्षण में रजिस्ट्री लिखवाने आये व्यक्तियों को व्यक्तिगत नहीं जानने तथा पेशी दिनांक 11.06.2015 को, जब उक्त गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये थे, न्यायालय में उपस्थित नहीं होना बताने का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त गवाह को इस संबंध में अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा जिरह द्वारा अभियोजन अधिकारी में उक्त गवाह ने उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी01 का ए से बी भाग ''2012 से ....स्वीकार किया गया था।'' सुनकर पुलिस को लिखाया जाना स्वीकार किया है। गवाह ने उसके प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से बताया है कि अभियुक्त देवीसिंह रोजाना आता था, इसलिए वह उसे जानता था और उसने विष्णु व माखन सिंह का पहचान पत्र भी देखा था।

35. इस प्रकार जो साक्ष्य पत्रावली पर पेश हुई है उससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण माखन, विष्णु व देवीसिंह ने आपस में आपराधिक षडयंत्र रचकर बेईमानीपूर्वक आशय से असल भूस्वामी के स्थान पर अभियुक्त तुलसीराम को खडा कर प्रभुलाल की जमीन को दुर्गाप्रसाद को दस लाख रूपये में बेचने का कूटरचित इकरारनामा तैयार किया तथा उक्त कूटरचित इकरारनामे को रजिस्ट्री के समय कूटरचित होने की जानकारी होते हुए प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड करवाया। जिससे अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

36. जहां तक धारा 469 भा.द.सं. का प्रश्न है तो पत्रावली पर वास्तविक भूस्वामी की ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि इस कार्य से वास्तविक भूस्वामी की ख्याति को अपहानि कारित होना संभाव्य हो, कूटरचित दस्तावेज निष्पादित किये जाने तथा उसे रजिस्टर्ड करवाने की साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं होने से अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 469 भा.द.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

37. अतः अभियोजन पक्ष प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 25.07.2014 को दोपहर के किसी समय मनोहरथाना स्थित उप पंजीयक कार्यालय में पीडित दुर्गाप्रसाद को प्रवंचना देकर राशि परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित किया एवं लोकसेवक उप पंजीयक को एवं पीडित को बेईमानी से छलपूर्वक मूल्यवान प्रतिभूति रजिस्ट्री हस्ताक्षरित कराने एवं रचने को उत्प्रेरित करके दस्तावेज रजिस्ट्री छलपूर्वक निष्पादित करवा ली एवं बेईमानी से दस लाख रूपये प्राप्त करके छल कारित किया तथा रजिस्ट्री की कपटपूर्वक बेईमानी से विक्रय का

अधिकार नहीं होते हुए रजिस्ट्री पर पहचानकर्ता के रूप में हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी किये एवं अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर रजिस्ट्री की बेईमानी से कूटरचना की तथा छल के प्रयोजन से रजिस्ट्री पर विक्रेता एवं पक्षकारों की पहचान के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी करके छल के प्रयोजन से रजिस्ट्री की कूटरचना की तथा कूटरचित किये गये दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के पहचान के दस्तावेज अपने उपयोग में काम में लेकर रजिस्ट्री की कूटरचना एवं पीडित दुर्गाप्रसाद से कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग में लाकर दस लाख रूपये की राशि प्राप्त की तथा छल एवं कूटरचना का आपराधिक षडयंत्र अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर रचा एवं उस आपराधिक षडयंत्र के उद्वेश्य के अग्रसरण में रजिस्ट्री की कूटरचना की एवं छलपूर्वक राशि प्राप्त की एवं अभियोजन पक्ष इस तथ्य को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि भूमि स्वामी की ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि इस कार्य से भूस्वामी की ख्याति को अपहानि कारित होना संभाव्य है, भूमि की रजिस्ट्री की कूटरचना अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर की। अतः अभियुक्तगण माखन सिंह उर्फ बबलू, विष्णु सिंह, देवीसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा अपराध अन्तर्गत धारा 469 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**--आदेश--**

38. अतः अभियुक्तगण 1. माखन सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी आगर पुलिस थाना मलावर जिला राजगढ़ (म.प्र.), 2. विष्णु सिंह पुत्र रामगोपाल उम्र 34 वर्ष निवासी मदनपुरा पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.) एवं 3. देवीसिंह पुत्र चम्पालाल उम्र 34 वर्ष निवासी गणेशपुरा पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज.) को आरोपित अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है तथा अपराध अन्तर्गत धारा 469 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

**(शारिक हुसैन)**
**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज.)**

39. सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्तागण अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के गरीब व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। वह वर्ष 2015 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ दिया जाए। अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध किया।

40. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभियुक्तगण को पीडित को प्रवंचना देकर राशि परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करने व बेईमानी से छलपूर्वक मूल्यवान प्रतिभूति रजिस्ट्री निष्पादित कर हस्ताक्षरित कराने व बेईमानी से दस लाख रूपये प्राप्त कर छल कारित करने तथा रजिस्ट्री की बेईमानी से कूटरचना कर असली के रूप में प्रयोग में लेने के लिये दोषसिद्ध किया गया है तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। फलतः प्रकरण में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मुलजिमान को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**-दण्डादेश-**

41. अतः अभियुक्तगण 1. माखन सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी आगर पुलिस थाना मलावर जिला राजगढ़ (म.प्र.), 2. विष्णु सिंह पुत्र रामगोपाल उम्र 34 वर्ष निवासी मदनपुरा पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.) एवं 3. देवीसिंह पुत्र चम्पालाल उम्र 34 वर्ष निवासी गणेशपुरा पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज.) प्रत्येक को आरोपित अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाता है:-

(1) प्रत्येक अभियुक्त को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में 3 वर्ष के कठौर कारावास तथा 2000/- रूपए (अक्षरे दो हजार रूपए) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 06 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

(2) प्रत्येक अभियुक्त को धारा 467 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में 3 वर्ष के कठौर कारावास तथा 2000/- रूपए (अक्षरे दो हजार रूपए) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 06 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

(3) प्रत्येक अभियुक्त को धारा 468 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में 3 वर्ष के कठौर कारावास तथा 2000/- रूपए (अक्षरे दो हजार रूपए) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 06 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

(4) प्रत्येक अभियुक्त को धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में 3 वर्ष के कठौर कारावास तथा 2000/- रूपए (अक्षरे दो हजार रूपए) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 06 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

(5) प्रत्येक अभियुक्त को धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में 3 वर्ष के कठौर कारावास तथा 2000/- रूपए (अक्षरे दो हजार रूपए) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 06 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

42. अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण के अन्वेक्षण व अन्वीक्षा के दौरान पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि उनकी मूल सजा में समायोजित की जावेगी। अभियुक्तगण की सभी सजाये साथ-साथ भुगतायी जावे। तदानुसार दंड-अधिपत्र निर्गमित किया जावे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क दी जावे।

43. अभियुक्तगण के पूर्व में पेश नियमित हाजरी पेशी पर उपस्थित होने बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

44. अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अन्तर्गत प्रत्येक अभियुक्त माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु राशि दस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभू इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

**45. प्रकरण में अभियुक्त तुलसीराम उर्फ नाथुलाल पुत्र मांगीलाल उम्र 51 वर्ष निवासी कोदयापुरा पुलिस थाना चांचौडा जिला गुना (म.प्र.) मफरूर है। अतः पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्त तुलसीराम उर्फ नाथुलाल की मफरूरी का नोट लाल स्याही से अंकित किया जावे तथा पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।**

**(शारिक हुसैन)**
**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज.)**

46. निर्णय आज दिनांक 24 मार्च 2026 को मुझ अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(शारिक हुसैन)**
**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज.)**

**प्रमाण पत्र**

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MOHAN SONI

Steno Gr. II
"Authenticate document"
Digitally signed by MOHAN SONI
Date: 2026.03.25 15:49:49 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।